न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :— 02/2013 निर्णय दिनांक :—13.08.2019

1. जयसिंह पुत्र भींवाराम उर्फ भींवसिंह जाति जाट निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादी

बनाम

1. भींवाराम उर्फ भींवसिंह उम्र 73 वर्ष
2. सुरेश उम्र 48 वर्ष
3. गणेश उम्र 40 वर्ष
4. रूपाराम उम्र 33 वर्ष
5. औंकार उम्र 72 वर्ष(मृत)
   - 5/1. रामलाल पुत्र औंकार
   - 5/2. चनू देवी पुत्री औंकार
   - 5/3. गीता देवी पुत्री औंकार
   - 5/4. तारादेवी पुत्री औंकार
   - 5/5. मुस्मात अमरी देवी पत्नी औंकार
6. रतनाराम उम्र 55 वर्ष
7. दानाराम उम्र 50 वर्ष
8. सावंरमल उम्र 45 वर्ष
9. रामेश्वर उम्र 38 वर्ष समस्त जाति जाट निवासी ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी, सीकर।
10. तहसीलदार तहसील रामगढ़ शेखावाटी।
11. जिला कलेक्टर महोदय सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णयः—

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री राजकुमार शर्मा (वादी की ओर से)

अधिवक्ता श्री भींमसिंह (प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 9 की ओर से)

वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी में खसरा नम्बर 112/3 रकबा 3.70 हैक्टेयर व 112/5 रकबा 3.38 हैक्टेयर तथ ग्राम ढाणी लावण्डा के तन में किता 01 भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 2.38 हैक्टेयर स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 04 एक ही खानदान के व्यक्ति है।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

विवादित आराजियात में खसरा नम्बर 112/3 रकबा 3.70 है. तथा खसरा नम्बर 112/5 का सम्पूर्ण रकबा तथा खसरा नम्बर 55 रकबा 2.38 हैक्टेयर में 1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 की पैतृक पूर्वजो के समय से लगातार निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर सम्मलित काश्त करते आ रहे है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 का समान रूप से 1/5,1/5 हक हिस्सा निहित है। लेकिन अभी तक विधिवत बंटवारा नही होने से आये दिन वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 में नींव सींव का झगड़ा होता रहता है इसलिए वाद वादी उद्घोषणा वादी के हिस्से को बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा करवाकर अपने 1/5 हिस्से का खाता अलग करवाकर नींव सीव अलग करवाने का अधिकारी है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 आपस में अपने अपने हिस्से का पारिवारिक बंटवारे में वादी को खसरा नम्बर 112/5 में पूर्वी भाग काश्त के लिए दे रखा है तथा खसरा नम्बर 55 में मध्य का भाग हिस्से में दे रखा है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है वादी के 1/5 हिस्से से प्रतिवादीगण का कोई सम्बंध सरोकार नहीं है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 ता 04, 8, 10, 11 बावजूद तामिल हाजिर अदालत नही होने से उक्त के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गई। प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 व 9 ने जबाब दावा पेश कर कथन किया कि भूमि खसरा नम्बर 55 वाके ढाणी लावण्डा के पश्चिम ओर का 1/2 हिस्सा भूमि भाग प्रतिवादी संख्या 05 ता 09 के एकान्तिक भौतिक कब्जे काश्त में उनके पूर्वजों के समय से है तथा पूर्वी ओर का 1/2 हिस्सा भूमि भाग प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे उपयोग का है वादी पूर्वी ओर के 1/2 हिस्से में से ही अपना हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है सम्पूर्ण भूमि के मध्य में वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है।

तनकीयात कायम की गई। वादी ने वाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किये तथा दस्तावेजात यथा प्रदर्श 01– गिरदावरी सम्वत् 2065–68, प्रदर्श 02–गिरदावरी सम्वत् 2067–70, प्रदर्श 03– जमाबन्दी सम्वत 2041–44, प्रदर्श 04–गिरदावरी सम्वत् 2014–17 आदि पेश किये, जो शामिल पत्रावली है। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

तनकी नम्बर 01:– विवादित आराजी के बारे में वादी द्वारा जमाबंदी सम्वत 2041–44 प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नम्बर 55 पर वादी के दादा नोपाराम का नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है। शेष दस्तावेज प्रदर्श 01, 02, 04 खसरा गिरदावरी की प्रतियां है। धारा 140 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानो के अनुसार सिर्फ जमाबंदी के इन्द्राज को साक्ष्य होने की मान्यता प्राप्त है। इसलिए खसरा गिरदावरी के इन्द्राज के आधार पर पक्षकारो के अधिकारों का निर्धारण नही किया जा सकता है। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में दावा दायरी के समय जमाबंदी प्रदर्श 03 के अलावा जमाबंदी की प्रतियां पेश

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

हीं की गई है। तत्सम्य/चालू जमाबंदी की प्रतियों के पेश नही होने से विवादित आराजी के बारे में खातेदारों के बारे में सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वादी नें दावा संबित रहने की 08 वर्ष की अवधि में भी जमाबंदी की प्रतियां प्रस्तुत नही की है। अतः रिकॉर्ड के अभाव में तनकी नम्बर 01 का निर्णय विरूद्ध वादी किया जाता है।

चूंकि तनकी नम्बर 01(मूल तनकी) का निर्णय विरूद्ध वादी साबित है। अतः मूल वाद का निर्णय उक्त तनकी के निर्णय से ही हो जाने के कारण तनकी नम्बर 02 व 03 के बारे में विवेचन अपेक्षित नही है।

—:आदेश:—

अतः आदेश है कि वाद वादी खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13.08.2019 कों खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner